

# AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड

## ऋणदाताओं के लिए उचित कार्यप्रणाली

---

AU SFB सर्वाधिकार सुरक्षित। यह दस्तावेज़ AU SFB की संपत्ति है और इस दस्तावेज़ के किसी भी भाग को किसी भी रूप में या किसी भी साधन द्वारा फिर से नहीं बनाया जा सकता या प्रसारित नहीं किया जा सकता, चाहे इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा या मैकेनिकल विधि द्वारा जिसमें फ़ोटोकॉपी करना या रिकॉर्डिंग करना या ऐसे किसी भी तरीके का उपयोग करना शामिल है जो AU SFB की स्पष्ट सहमति के बिना हो। किसी भी उल्लंघन को रोजगार की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और उसी के हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। कंपनी संचलन

## विषय-सूची

|  |   |
|--|---|
| 1. परिचय.....  | 3 |
| 2. मार्गदर्शक सिद्धांत.....                            | 3 |
| 3. क्रेडिट आवेदन फॉर्म (CAF) और उनका प्रसंस्करण .....  | 3 |
| 4. क्रेडिट मूल्यांकन और नियम/शर्तें.....               | 4 |
| 5. नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव सहित संवितरण ..... | 6 |
| 6. संवितरण के बाद पर्यवेक्षण.....                      | 6 |
| 7. सामान्य.....  | 7 |
| 8. बैंकों द्वारा जानकारी दिखाना.....                   | 8 |
| 9. विपत्ति, शिकायतें और प्रतिक्रिया .....              | 9 |
| 10. मुख्य स्टेटमेंट / फ़ैक्ट शीट .....                 | 9 |
| 11. शब्दकोष.....                                       | 9 |

## 1. परिचय

ऋणदाताओं के लिए उचित कार्यप्रणाली में बैंक के उधारकर्ताओं, सह-आवेदकों और गारंटर्स (जिसे इस दस्तावेज़ की दूसरी जगहों पर संदर्भ की आवश्यकता के अनुसार सामूहिक रूप से "उधारकर्ता" या "आवेदक" के रूप में संदर्भित किया गया है) के साथ बैंक के लेनदेन के संबंध में पारदर्शी और स्पष्ट नीति निर्धारित की गई है। यह नीति बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले सभी ऋण उत्पादों पर लागू होती है।

## 2. मार्गदर्शक सिद्धांत

इस नीति दस्तावेज़ से बैंक द्वारा पेश किए गए विभिन्न ऋण उत्पादों के संपूर्ण डिज़ाइन और कार्यप्रणाली के साथ-साथ उनमें में हर एक के साथ जुड़े हुए नियमों और शर्तों को नियंत्रित किया जाता है। इस नीति दस्तावेज़ में उधारकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी गई है और यह संभावित उधारकर्ताओं को आवेदन, प्रसंस्करण, वितरण के बाद की गतिविधियों, सेवा और ऋण समाप्ति के बारे में जानकारी देने में सहायक टूल के रूप में कार्य करेगा। बैंक के पास "बकाया राशि के संग्रह और प्रतिभूति की जब्ती" पर एक अलग नीति है, इसमें उन दिशानिर्देशों को निर्धारित किया गया है जिनका पालन बैंक और उसके नामित अधिकारियों द्वारा अतिदेय क्रेडिट सुविधाओं को इकट्ठा करने और प्रतिभूति जप्त करने के लिए करना आवश्यक है।

## 3. क्रेडिट आवेदन फॉर्म (CAF) और उनका प्रसंस्करण

3.1 बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि वह आवेदक द्वारा CAF के साथ सबमिट किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट के साथ CAF मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाए। सबमिट करने के समय, बैंक प्रसंस्करण के लिए आवश्यक सभी विवरण को सामान्य रूप से एकत्र करेगा। बैंक उधारकर्ता से घोषणा प्राप्त करेगा जिसमें क्रेडिट मूल्यांकन के लिए इनपुट के रूप में अन्य बैंकों से उनके द्वारा लिए गए ऋण की सीमा की जानकारी होगी और बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न बैंकों से इस तरह की सुविधा किसी एकल कंपनी या कंपनियों के समूह के शेयरों के लिए प्राप्त नहीं की गई है। अगर किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, तो बैंक आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक से संपर्क करेगा।

3.2 क्रेडिट एप्लिकेशन फॉर्म (CAF) जानकारी के संदर्भ में संपूर्ण होगा, चाहे क्रेडिट सुविधा का प्रकार और राशि कुछ भी हो। क्रेडिट आवेदन फॉर्म में प्रसंस्करण शुल्क और अन्य शुल्कों के बारे में जानकारी होगी, जैसे कि:

- ऋण आवेदन और दस्तावेज़ीकरण शुल्क को संसाधित करने के लिए लागू शुल्क
- आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में रीफंड किया गया शुल्क
- विलंबित पुनर्भुगतान हेतु लिए जाने वाले जुर्माना प्रभार।
- पूर्व-भुगतान और अन्य विविध प्रभारों के विकल्प, अगर कोई हो।
- रूपांतरण शुल्क जो क्रेडिट सुविधा प्रकार को नियत से अस्थिर में और अस्थिर से नियत में बदलने के लिए लागू हो सकते हैं।

3.3 उधारकर्ता के हित को प्रभावित वाला कोई भी अन्य शुल्क। सभी आवेदकों को क्रेडिट आवेदन फॉर्म की प्राप्ति के लिए पावती दी जाएगी। क्रेडिट आवेदन फॉर्म के प्रसंस्करण के संबंध में समय-सीमा उसी फॉर्म में दर्शाई जाएगी।

अस्वीकृति की स्थिति में, आमतौर पर उचित समय अवधि में बैंक लिखित रूप से उस मुख्य कारण के बारे में बताएगा ("ग्राहक की दिलचस्पी नहीं है" की स्थिति को छोड़कर) जिससे बैंक के आंतरिक जोखिम दिशानिर्देशों के आधार पर क्रेडिट सुविधा को अस्वीकार किया गया है।

3.4 बैंक 2 करोड़ की राशि तक के मामलों के लिए 4 सप्ताह में और 2 करोड़ से अधिक की राशि के मामलों के लिए 6 सप्ताह में ऋण आवेदनों का सत्यापन करेंगे। अगर अतिरिक्त विवरण / दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके बारे में उधारकर्ताओं को तुरंत सूचित किया जाएगा।

#### 4. क्रेडिट मूल्यांकन और नियम/शर्तें

4.1. क्रेडिट सुविधाएं उन तय हस्ताक्षरित मानदंडों के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं जिनकी जानकारी बैंक के आंतरिक क्रेडिट नीति मैनुअल में दी गई है। क्रेडिट अधिकारी क्रेडिट प्रस्तावों को स्वीकार करते समय क्रेडिट नीतियों का पालन उचित रूप से सुनिश्चित करेंगे।

4.2 बैंक संभावित उधारकर्ता की ऋण योग्यता और ऋण आवश्यकता का समग्र मूल्यांकन करेगा। बैंक उन उधारकर्ताओं के खंड को पूरा करता है जिनके पास शायद अपनी आय को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं। बैंक ने ग्राहकों के इस खंड की ऋण योग्यता और ऋण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए विशेष कौशल विकसित किया है। बैंक उचित स्तर पर उचित सावधानी बरतेगा जो उसकी जोखिम उठाने की क्षमता, बैंक की क्रेडिट नीतियों और संबंधित नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

4.3 बैंक CAF में बताए गए विवरणों का सत्यापन CAF में उल्लेख किए गए व्यवसाय के पते/आवास पर कर्मचारियों/नामित अधिकारी के माध्यम से आवेदकों से संपर्क करके करेगा।

4.4 बैंक आवेदक को नियम और शर्तों के साथ क्रेडिट शर्तों के बारे में बताएगा और रिकॉर्ड पर उनकी पूरी जानकारी के साथ इसकी स्वीकृति प्राप्त करेगा।

4.5. क्रेडिट सुविधाओं के स्वीकार होने की स्थिति में, बैंक उस क्रेडिट सुविधा अनुबंध में सहमति वाली क्रेडिट सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों और अन्य जानकारी को लिखित रूप में रखेगा जो बैंक और उधारकर्ता के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज के रूप में काम करेगा। बैंक शुरुआत में और अनुरोध पर बाद में उधारकर्ता को सभी क्रेडिट सुविधा अनुबंध की प्रमाणित प्रतियों के साथ-साथ उसमें सूचीबद्ध संलग्नक भी मुफ्त में देगा।

4.6 बैंक आवेदक को स्वीकृत शर्तों पर स्वीकृत क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति देगा, हालांकि निम्नलिखित स्थितियों सहित स्वीकृत सीमा से अधिक के आहरण के लिए, निर्णय पूरी तरह से बैंक के विवेक पर निर्भर करेगा:

4.6.1 ऐसे आहरण जो क्रेडिट आवेदन फॉर्म में बताई गई स्वीकृत सीमा से अधिक हैं।

4.6.2 खाते में आहरण जिसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.6.3 क्रेडिट आवेदन फॉर्म में उल्लिखित और सहमति के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए आहरण।

4.7 नए क्रेडिट जारी करने के संबंध में कोई भी निर्णय आवेदक के नए क्रेडिट मूल्यांकन/उचित तरीके पूरे होने के बाद बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।

4.8 ग्राहक द्वारा अनुरोधित मौजूदा क्रेडिट सुविधा में कोई भी बदलाव/संयोजन बैंक की आंतरिक नीतियों और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार पर होगा।

4.9 SHG/JLG से सूक्ष्म वित्त और ऋण की स्थिति में, बैंक सबसे पहले उधारकर्ता के समूह के निर्माण का फैसला लेगा और फिर आवेदन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा।

4.10. आवेदकों को ऋण सुविधाएं देने के संबंध में निर्णय लेने के लिए, बैंक क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) की सेवाओं और उनके द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग कर सकता है। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि वह संभावित उधारकर्ता को ऋण सूचना कंपनियों (CIC) की भूमिका के बारे में निम्नानुसार बताए:

- बैंक सभी संभावित उधारकर्ताओं के क्रेडिट विवरण की रिपोर्ट CIC को करेगा।
- बैंक नियामक प्राधिकरण द्वारा सुझाए गए अनुसार समय-समय पर उपर्युक्त जानकारी को अपडेट करेगा और CIC को इसकी रिपोर्ट देगा।
- बैंक ऋणों के बारे में जानकारी तब भी शामिल करेगा जब उधारकर्ता पुनर्भुगतान अनुसूची में पीछे रह गया हो या बकाया राशि विवाद में हो या उधारकर्ता ने CIC को रिपोर्ट करते समय ऋण चुकाने के लिए असंतोषजनक प्रस्ताव दिया हो।
- अगर उधारकर्ता का क्रेडिट सुविधा खाता डिफॉल्ट हो गया है और उसके बाद नियमित हो गया है, तो बैंक बाद की रिपोर्ट में CIC को ऐसी जानकारी के बारे में बताएगा।
- बैंक, अनुरोध और नाममात्र शुल्क के भुगतान पर, CIC से प्राप्त क्रेडिट जानकारी की कॉपी देगा।
- खाता का विवरण 'उप-मानक' होने की अवधि के बाद 'मानक' हो जाने पर और/या बैंक की संतुष्टि के लिए खाते के नियमित/बंद होने के तुरंत बाद, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि CIC को खाते के विवरण के बारे में अपडेट रखा जाता है।

## 5. नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव सहित संवितरण

- 5.1 बैंक स्वीकृत क्रेडिट सुविधा पर लागू सभी नियमों और शर्तों के पालन के बाद का समय पर उसका संवितरण सुनिश्चित करेगा।
- 5.2 बैंक सावधि ऋणों के लिए परिशोधन अनुसूची भी देगा।
- 5.3 उधारकर्ताओं को समय-समय पर क्रेडिट सुविधाओं की निगरानी और समीक्षा करने में सक्षम करने के लिए आवधिक जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, ऐसा स्वीकृति की शर्तों के अनुसार और उस समय होगा जब बैंक मानता है कि उसे किसी ऐसी घटना की स्थिति में जानकारी की आवश्यकता है जो उधारकर्ता के व्यवसाय और/या बैंक की सुविधाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।
- 5.4 ऋण सुविधाओं का नवीनीकरण ऊपर दी गई सुविधाओं की आवधिक समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी/दस्तावेज़ उपलब्ध करवाने वाले उधारकर्ता के आधार पर और क्रेडिट सुविधा अनुबंध में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों में उल्लिखित सुविधाओं के नवीनीकरण की तारीख से पहले होगा।
- 5.5 बैंक समीक्षा कर सकता है कि उधारकर्ता के बारे में नई जानकारी उपलब्ध होने या ज्ञात होने की स्थिति में आगे के आहरण की अनुमति दी जाए या नहीं।
- 5.6 बैंक नियमों और शर्तों, जैसे कि ब्याज दरों या सेवा शुल्क, में किसी भी बदलाव की सूचना लिखित रूप में (संचार के स्वीकृत साधनों, जैसे कि प्रिंट, ईमेल आदि के अनुसार) उधारकर्ताओं को देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बदलाव ग्राहकों पर संभावित रूप से लागू हों।

अस्थिर दर से शुल्क वाली क्रेडिट सुविधाएं पा रहे उधारकर्ताओं को निधि की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर (MCLR) या किसी भी बाहरी बेंचमार्क उधार दर (EBLR) में प्रत्येक बदलाव के बारे में लिखित में सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य बेंचमार्क दरों से जुड़ी क्रेडिट सुविधाओं के लिए (जैसा कि समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है), बेंचमार्क दर में किसी भी संशोधन के बारे में उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा।

- 5.7 बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण आवेदन फॉर्म में प्रसंस्करण के लिए प्रभार/शुल्क से संबंधित सभी जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए। इसके अलावा, बैंक ग्राहक को 'पूरी लागत' के बारे में बताएंगे, ताकि वह वित्त के अन्य स्रोतों द्वारा ली जाने वाली दरों की तुलना कर सके।

## 6. संवितरण के बाद पर्यवेक्षण

- 6.1 क्रेडिट सुविधा अनुबंध में बताए अनुसार और RBI द्वारा दी जाने वाली सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं द्वारा सुझाए अनुसार, बैंक संवितरण के बाद पर्यवेक्षण करेगा।

- 6.2 बैंक सभी प्रतिभूतियों को ऋण सुविधा के पूर्ण पुनर्भुगतान के तहत जारी करेगा। हालाँकि, बैंक अभी भी कुछ प्रतिभूतियों को उस वैध दावे के रूप में रोककर रख सकता है जो उधारकर्ताओं के खिलाफ बैंक के साथ उनके द्वारा प्राप्त अन्य ऋण सुविधाओं के लिए हो सकता है या बैंक के साथ अन्य उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त सुविधाओं के लिए सह-आवेदक या गारंटर के रूप में उनकी क्षमता में हो सकता है। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाएगा जिसमें बैंक के पास शेष दावों के बारे में जानकारी होगी, साथ ही उसमें बैंक को दिये गए उन दस्तावेज़ों की जानकारी भी होगी जिनमें बैंक को यह वैध अधिकार दिया गया है की वह दावों का पूरी तरह से निपटान होने तक प्रतिभूतियों को रोककर रखे।
- 6.3 अगर बैंक पुनर्भुगतान वापस लेने या इसमें तेज़ी लाने या अतिरिक्त प्रतिभूतियों और उच्च मार्जिन की मांग करने का निर्णय लेता है, तो वह उधारकर्ताओं को क्रेडिट सुविधा अनुबंध में बताए अनुसार उचित नोटिस अवधि देगा। अगर इस तरह की स्थितियों को क्रेडिट सुविधा अनुबंध में ही पहले से तय किया जाता है, तो यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, बैंक अपने विवेक पर पुनर्भुगतान वापस मांग सकता है/इसमें तेज़ी ला सकता है या अतिरिक्त प्रतिभूतियों/उच्च मार्जिन की मांग कर सकता है।
- 6.4 अगर सभी देय राशि की वसूली और अन्य सभी संबंधित खर्चों को पूरा करने के बाद अतिरिक्त राशि बची है, तो इसे उधारकर्ता को विधिवत वापस कर दिया जाएगा, बशर्ते बैंक के पास उधारकर्ता के खिलाफ कोई अन्य दावा न हो।

## 7. सामान्य

- 7.1 क्रेडिट सुविधा अनुबंध के तहत पहले से ही निर्दिष्ट चीजों को छोड़कर, बैंक खुद को उधारकर्ताओं के मामलों में तब तक शामिल नहीं करेगा जब तक ऐसी नई जानकारी सामने नहीं आती जिससे बैंक की राय में बैंक के हितों पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, बैंक के पास यह अधिकार होगा कि वह बैंक के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक जानकारी मांगे और प्राप्त करे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कानून के अनुसार प्रतिभूति की रिकवरी और प्रवर्तन के लिए बैंक के अधिकार के साथ-साथ नामित निदेशक की नियुक्ति, जहां आवश्यक हो, पर इस प्रतिबद्धता से प्रभाव पड़ता है।
- 7.2 बैंक अपने ऋण संचालन को पूरा करते समय जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि, बैंक समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऋण से जुड़ी योजनाओं में भाग लेगा/प्रस्तावित करेगा।
- 7.3 बैंक ऋण सुविधाओं की वसूली के लिए उत्पीड़न या बल प्रयोग का सहारा नहीं लेगा। वह कानून के तहत और अपने बकाया के संग्रह और वसूली के लिए क्रेडिट सुविधा अनुबंध में बताए अनुसार सभी उपलब्ध साधनों का सहारा लेगा।

7.4 उधारकर्ता द्वारा या क्रेडिट सुविधा लेने की पेशकश करने वाले किसी अन्य बैंक से क्रेडिट सुविधा खाता हस्तांतरण का अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, बैंक की अंतिम सहमति या आपत्ति अनुरोध प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।

7.5 बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा (संपत्ति, सावधि जमा आदि जैसी संपत्ति पर ऋण) देगा और आहारित राशि की गणना की प्रक्रिया के बारे में विवरण देगा और यह भी निर्दिष्ट करेगा कि क्रेडिट सुविधा राशि पर ब्याज की गणना कैसे की जाएगी।

## 8. बैंकों द्वारा जानकारी दिखाना

बैंक समय-समय पर RBI द्वारा निर्धारित प्रारूप में ब्याज दरों और सेवा शुल्क से संबंधित जानकारी दिखाएगा। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सूचित निर्णय लेने के लिए नवीनतम जानकारी बैंक की वेबसाइट पर डाली जाए।

बैंक अपनी वेबसाइट पर विभिन्न श्रेणियों के अग्रिमों के लिए पिछली तिमाही के अनुबंधित ऋणों की ब्याज दर सीमा के साथ-साथ ऐसे ऋणों के लिए औसत ब्याज दरों को दिखाएगा।

इसके अलावा बैंक निम्नलिखित को अपनी वेबसाइट पर रखेगा:

- ऋण और अग्रिम से संबंधित CAF
- उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले रिक्त अनुबंध की कॉपी
- क्रेडिट सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए नियम और शर्तें
- प्रसंस्करण शुल्क और अन्य प्रभार
- ऋण और अग्रिम पर ब्याज दरें

बैंक द्वारा अपनाई गई उचित कार्यप्रणाली बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और शाखाओं में भी दिखाई जाएगी।

बैंक ने इस नीति दस्तावेज़ में CAF के निपटान के लिए समय-सीमा का उल्लेख किया है और निर्दिष्ट अवधि से परे लंबित CAF की समीक्षा के लिए उपयुक्त निगरानी व्यवस्था स्थापित करेगा।

बैंक 2 करोड़ की राशि तक के मामलों के लिए 4 सप्ताह में और 2 करोड़ से अधिक की राशि के मामलों के लिए 6 सप्ताह में ऋण आवेदनों का निपटान करेंगे।



## 9. विपत्ति, शिकायतें और प्रतिक्रिया

बैंक के पास "ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था" है जो ग्राहकों की शिकायतों से निपटने के लिए निवारण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ग्राहक शिकायत निवारण नीति दस्तावेज़ का उद्देश्य उचित सेवा वितरण के माध्यम से ग्राहकों की विपत्तियों और शिकायतों के मामलों को कम करना है और व्यवस्था की समीक्षा करके ग्राहकों की विपत्तियों और शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करना है। ग्राहक की शिकायतों से निपटने के लिए कई अधिकारियों के संपर्क विवरण "ग्राहक शिकायत निवारण नीति" में दिया जाएगा। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि बैंक पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को सुना जाए और कम से कम अगले उच्च स्तर पर उनका निपटारा किया जाए।

## 10. मुख्य स्टेटमेंट / फ़ैक्ट शीट

ऋण प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण के साथ-साथ किसी भी नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव की स्थिति में सभी व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को बैंक निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्पष्ट, संक्षिप्त, एक पेज में मुख्य फ़ैक्ट स्टेटमेंट/ फ़ैक्ट शीट देगा।

## 11. शब्दकोष

| शब्द                  | परिभाषा  |
|-----------------------|--|
| बैंक                  | यह AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक को संदर्भित करता है  |
| CAF                   | "क्रेडिट आवेदन फॉर्म" का संक्षिप्त रूप जो प्रारंभिक फॉर्म को संदर्भित करता है आवेदकों को बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए इसे भरना होगा |
| CIC                   | "क्रेडिट सूचना कंपनी" का संक्षिप्त रूप   |
| क्रेडिट सुविधा अनुबंध | यह बैंक और उधारकर्ता के बीच कानूनी अनुबंध को संदर्भित करता है जिसमें ऋण सुविधा के संवितरण की शर्तों को निर्दिष्ट किया जाता है                |
| IBA                   | "इंडियन बैंक एसोसिएशन (भारतीय बैंक संघ)" का संक्षिप्त रूप  |
| JLG                   | "जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (संयुक्त देयता समूह)" का संक्षिप्त रूप  |
| MCLR                  | "मार्जिनल कॉस्ट ऑफ़ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (निधि की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर)" के लिए परिवर्णी शब्द                                    |
| RBI                   | "रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (भारतीय रिज़र्व बैंक)" का संक्षिप्त रूप   |
| SHG                   | "सेल्फ़ हेल्प ग्रुप (स्वयं सहायता समूह)" का संक्षिप्त रूप  |